संरक्षण प्रणाली क्या है ?

प्रथम विश्वयुद्ध जब खतम हुआ तब यह निश्चित किया गया कि हारे हुए देशों और टर्की और जर्मनी के स्थान नई व्यवस्था हो। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने स्पष्टतः कहा था कि युद्धोपरान्त शत्रु-राष्ट्रों के उपनिवेशों और अधिकृत देशों में वहाँ के निवासियों के इच्छानुसार शासन पद्धति की व्यवस्था की जाएगी।

युद्ध काल में ही स्वशासन के सिद्धान्त और साम्राज्य के सिद्धान्त की घोषणा की गई थी। अब प्रश्न था कि इनमें कैसे समन्वय कराया जाए ताकि स्वशासन का नाम भी रह जाए और पराजित शत्रुओं के उपनिवेशों पर मित्रराष्ट्रों का अधिकार भी हो जाए। इसके लिए अफ्रीका के राजनेता जनरल स्मट्स (General Smuts) ने एक रास्ता निकाला जिसको संरक्षण प्रणाली कहते हैं।

इस प्रणाली के अनुसार शत्रुपक्ष के उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्र का विधिवत अधिकार नहीं कायम हुआ। ये प्रदेश राष्ट्रसंघ के जिम्मे सौंप दिए गए और राष्ट्रसंघ ने अपनी तरफ से इनको विभिन्न राष्ट्रों के संरक्षण में दे दिया। यह कहा।

गया कि विजित राष्ट्रों के उपनिवेशों पर जो कब्जा मित्र राष्ट्रों को दिया गया है वह वस्तुत: राष्ट्र संघ का है और ये देश राष्ट्र संघ की ओर से उपनिवेशों के अनुशासन और सुव्यवस्था मात्र के लिए नियत किए गए हैं। शासन की इसी पद्धति को प्रथा संरक्षण प्रणाली कहते हैं।

राष्ट्रसंघ के विधान की 22 वीं धारा में संरक्षण प्रणाली की चर्चा इस प्रकार की गई है — " उन उपनिवेशों और देशों पर जो पिछले युद्ध के परिणामस्वरूप उन राज्यों की प्रभुसत्ता में नहीं रह गए हैं जिनका पहले उनपर शासन था तथा जिनमें ऐसे लोग बसते हैं, जो आधुनिक विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े होने योग्य नहीं हैं, यह सिद्धान्त लागू किया जाए कि ऐसे लोगों का कल्याण और विकास सभ्य देशों का पवित्र कर्तव्य है।

इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे लोगों का संरक्षण उन समुन्नत राष्ट्रों को सौंपा जाए जो इस जिम्मेवारी को सबसे अच्छी तरह निभा सकते हैं तथा इन संरक्षण अधिकार का उपयोग

के राष्ट्रसंघ की ओर से संरक्षक राज्य के रूप में करेंगे।

संरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत तीन विशेष बातें थीं, जो इस प्रकार हैं —

1) संरक्षित प्रदेशों पर शासन करने वाले संरक्षक राज्य अपने देश की प्रगति के विषय में एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रसंघ की कौंसिल को भेजेंगे।

2) प्रत्येक संरक्षित प्रदेश पर नियंत्रण अथवा शासन राष्ट्रसंघ की कौंसिल के आदेशानुसार होगा।

3) संरक्षण राज्यों की वार्षिक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए एक स्थाई - संरक्षण आयोग की नियुक्ति की जाएगी।